be, and I have not had tune to study the Constitution from that point.

SHRI A. B. VAJPAYEE; In that case we may be allowed to state our case in order to help you to arrive at a decision.

MR. CHAIRMAN: I have to decide whether it should be permitted or no . Therefore I have to study it. Give me a little more time. I will not delay it unnecessarily.

SHRI G. MURAHARI (Uttar Pradesh) : Because it involves a large number of Central Cabinet Ministers I think we should be given an early opportunity to discuss the matter.

MR. CHAIRMAN: I think I have said what I had to say. I have not allowed that motion to be moved at this stage. I wiH let you know later on.

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE RICE MILLING INDUSTRY (REGULATION ANO LICENSING) AMENDMENT RULES, 1963

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI A. M. THOMAS): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) Notification G.S.R. No. 1369, dated the 6th August, 1963, publishing the Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Amendment Rules, 1963, under subsection (4) of section 22 of the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958. [Placed in Library. *See* No. LT-1561/63.]

NOTIFICATIONS UNDER THE ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955

SHRI A. M. THOMAS: Sir, I also beg to lay on the Table a copy each of the Ministry of Food and Agricul-ture (Department of Food) Notifications G.S.R. Nos. 1337 to 1346, dated the 9th August, 1963, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [Placed in Library. *See* No. LT-1511/63.]

ALLOTMENT OF TIME FOR CONSIDERATION OF THE APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1963

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that under rule 162(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I have allotted one hour for the completion of all stages involved in the consideration and return of the Appropriation (No. 4) Bill, 1963, by the Rajya Sabha, including the consideration and passing of amendments, if any, to the Bill.

ALLOTMENT OF TIME FOR. CONSIDERATION OF MOTION RE.SHORTAGE OF SUGAR IN THECOUNTRY

MR. CHAIRMAN: I have also to inform Members that under rule 153 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I have allotted two and a half hours for the consideration of Shri A. B. Vajpayee's motion regarding the situation arising out of present shortage of sugar in the country.

THE ALL-INDIA SERVICES (AMENDMENT) BILL, 1963—*continued*

MR. CHAIRMAN: We shall continue the discussion on the All-India Services (Amendment) Bill, 1963. Shri Raghunatha Reddy had not finished his speech. He can do so now. But I find he is not here. Then, Shri B. K. P. Sinha is not here, nor Shri Lingain. Yes, Mr. A. D. Mani.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): Mr. Chairman, I rise to support the Bill before the House and I would like to make a few submissions regarding clause 3 of the Bill. Clause 3 gives effect to the Resolution which was adopted by this House some time ago under article 312 of the Constitution regarding the creation of All-India Services, *i.e.* The Indian Service of Engineers, The Indian Forest Service and The Indian Medical and Health Service. Sir, the Public Health Engineers in this coun, try are greatly agitated over the question whether they would come under the category of "The Indian Medical and Health Service." Public Health Engineers perform a very useful function in this country and if there is to be an arrest to the spread of epidemics and if we are to have better water supply, they have to play a very big part in creating conditions of sanitation and developing water supply in the countryside. One hon. Minister of State comes from Maharashtra and in his own home town there is an Institute of Public Health created by the Central Government. It will not be necessary for the Government to amend the article if the hon. Minister makes a statement that he would consider the desirability of including Public Health Engineers in the category of the Indian Medical and Health Service, and Public Health Engineers in the country would not feel that they have been discriminated against in the matter of the creation of this All-India Service. I do hope that the hon. Minister will give consideration to this aspect of the matter. A number of resolutions have been adopted on this issue by-the concerned bodies dealing with Public Health Engineers in the country.

The second point that I would like to make in regard to the creation of these services is this. While the Government is trying to create the All-India Services of the Indian Forest Service and the Indian Medical and Health Service and the Indian Service of Engineers, in the various | States experunents are being conducted in education, by having instruction conveyed through the regional language or through the national language. If we are to create an All-India Service of Engineers or an All-India service of medical men, there has to be some kind of coordination between this effort and the education which is imparted in the technical colleges in the various States. This does not come within the purview of the Home Ministry. It certainly comes within the purview of the Ministry of Education, and I do hope that while on the one hand we are attempting to create these Central Services on these lines, we will not allow the States to continue their own experiments which might retard the efficiency of these people or limit the number of people who may be qualified to be absorbed into these Services.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

The third point I would like to make in this connection is that I feel in respect of medical education that there has got to be a Central direction, because in many of "the States the standard of medical education is going down and there is already an agitation in some of the States that a condensed course for doctors should be instituted in the universities in order to enable more doctors to come into the profession. I do hope that the Government of India will take steps to call a meeting of the State Education Ministers and impress upon them the need for observing and maintaining a certain all-India standard in regard to medical and technical education. I hope the State Ministers will not object to the Central Government giving advice to them on this matter and to accept hat advice as virtually a direction joming from the Central Government ! do hope that as a result of the co->rdination of all the efforts of the Ministry of Education and the Minis-ry of Home Affairs, the country will)e satisfied that the All-India Ser-

vices Act has 'been fully implemented and that it will be having a core of technical personnel available both for ihe Central and the State Governments. Thank you.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Kerala): Madam Deputy Chairman, I rise to oppose this Bill. This one-clause amending Bill is not as simple as it appears to be. The hon. Members who have been speaking in support of this Bill were supporting it on the ground that this will help national integration. I am one of those who wholeheartedly support any step that will really strengthen national integration. But those who feel that this Bill is going to strengthen national integration, I am afraid, do not proprely understand either the problem of national integration or the implications of this Bill. Madam, the one body that gave serious consideration to this question of national integration was the Constituent Assembly of India. There in the Constituent Assembly, after taking into account all the problems that the country had to face, and in order to maintain the unity of India, it was decided that we should have a federal Constitution. In my opinion, any administrative step taken by us that will in any way undermine this concept of the Constitution will be harmful and that instead of helping the integration of the country, it will disrupt it. So, I am not looking at this Bill from an idealistic angle. I am looking at it from a realistic angle and after hearing the speeches of Members from both sides, I am now much more convinced that this is rather a dangerous step. It was said that it was necessary to safeguard the limited autonomy which the States are entitled to enjoy. This was not done because it was only one party that was having the power both in the Centre and in the States. I agree that there is some element of truth in this argument. The attitude of the Opposition also is not very conducive to strengthening the limited autonomy which the States enjoy. Let us see what was demanded by some of our friends. They wanted the members of the All-India Services not to surrender to the State Ministers but to take an independent stand. This was the argument of not only one Member but of two or three. This way, you are creating a set of officers who will be controlled from the Centre and who will not abide by the decisions of the State Governments.

SHRI M. RUTHNASWAMY (Madras): On a point of personal explanation, Madam. That was not the implication of what I said. What I said was that officers appointed to the All-India Services should give independent advice to the Ministers, not that they should flout the decisions of the Ministers. Once a decision is taken, they should abide by it. That is all that I said, that they should give free and independent advise to the Ministers.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: I am not against their giving independent advice. My point is, who would enforce discipline on the Members of these All-India Services. Since, as he has suggested, both at the Centre and in the States the same party is ruling, that question may not come up but suppose it is some other party that is in power, then if any serious disciplinary action is to be taken, it will be that the State Governments are not entitled to take any action. They would have to come to the Cen tne. They can flout . . .

SHRI P. RAMAMURTI (Madras): They act as spies of the Central Government.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: It really happens so and that is why I say don't enlarge this. Take, for example, the subject of forests. What has the Centre to do with the forest and why should you ireate an All-India Service for this subject? Concentrating the disciplinary powers in the Centre puts the State Ministers or the Ministry in a very difficult position.

[Shri M. N. Govinda Nair.] I do not want to quote examples but still I would like to remind the House about the fate of our municipalities. The municipalities are also elected by the people but there is an executive officer who is under the State Government. By this process, I do not say consciously but unconsciously, you are reducing the status of the States to the level of municipalities. That is what it comes to.

You know the financial position of the States. I feel that many of the States cannot afford this step. I need not remind the House that many of the States, as far as their finances are concerned, are not self-sufficient and they are heavily indebted to the Centre. Creation of All-India Services at every level will further worsen the situation so far as the financial position is concerned. That apart, another point is the difference between the All India cadre and the State cadre so far as emoluments are concerned. This will be such that instead of proper functioning of the administration, all kinds of dissatisfaction and disruption, etc., will ensue in the States. That is why I have said I am opposing this Bill not from the idealistic angle but from the prac. tical angle, from the realistic angle from which the All-India Services themselves are working. I find that in the present context to introduce this Bill will create further confusion rather than strengthen integration in the States. Otherwise, Government has to take certain steps. Even in respect of the present incumbents of the several All India Services, the States have no right to take disciplinary action. They should now be vested with such powers. Secondly, the Central Government should take up the responsibility of financing the State Governments to meet the extra amount that will have to be spent. Thirdly, the disparity that exists in the matter of pay, etc. between the people in the States services and the Central services should also be removed. They should be put on a par and the finances necessary for that will have to be found from here. If after taking all these steps a Bill like this is brought forward, of course, it will bear fruit and I am all for it but in the present context, to bring in a Bill like this will only worsen the situation in the States and it will not help in integration. That is my point of view.

श्री ए० बी० वाजपेयी (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं इस बिल का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आश्चर्य है कि मेरे मित्र श्री गोविन्दन् नायर ने इस विधेयक का विरोध किया है और उसके विरोध में ऐसे कारण दिये हैं कि जो न सिद्धान्त की कसौटी पर और न व्यवहार की कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस तरह की अखिल भारतीय सेवायें बनाई जाएं—यह सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग ने की थी।

SHRI P. A. SOLOMAN (Kerala): Kindly speak in English so that we can understand.

SHRI A. B. VAJPAYEE: You try to understand.

स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमिशन ने इस प्रकार की अखिल भारतीय सेवायें बनाने पर जोर दिया था। सचमुच में यह विधेयक बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। इसमें देरी हो गई है और जितनी सिफारिशें कमिशन ने की थीं, उन सब का समावेश इस विधेयक में नहीं किया गया है। अभी कुछ प्रान्तों से मुख्य मंत्री अपने अधिकारों के नाम पर अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण को रोकना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। मेरे मित्र श्री गोविन्दन् नायर ने भी इसी प्रवृत्ति का प्रकटीकरण किया है। जब वह यह कहते हैं कि अगर अखिल भारतीय सेवायें अधिक बढ़ गइं तो प्रान्त की सत्ता कम हो जायगी। मेरा निवेदन है कि हमारा संविधान संघात्मक स्वरूप का है, फैडरल कैरेक्टर का है, लेकिन फिर भी उसमें एक प्रबल केन्द्र को मान्यता दी गयी है। It is more unitary than federal.

SHRI NAFISUL HASAN (Uttar Pradesh): Federal only in form.

श्री ए० बी० वाजपेयी : यह हमारे संविधान का स्वरूप है और इस बात की आवश्यकता भी है। आज जो हमें राज्य दिखाई देते हैं, ये पहले प्रान्त थे जो शासन की सुविधा की दृष्टि से बनाए गए थे।

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: May I bring to your notice what the States Reorganisation Commission itself has said on this question? They say:

> "A great deal of this heat and controversy may prove to be a passing phase. Nevertheless, it would be unwise not to take note of these disruptive trends. One view, which is strongly held by certain sections of public opinion is that only a unitary form of government and division of the country into purely administrative units can provide the corrective to the separatist tendencies. We feel, however, that in the existing circumstances this approach would be somewhat unrealistic. Other methods have, therefore, to be found to keep centrifugal forces under check:"

SHRI A. B. VAJPAYEE: So what?

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: So it clearly says that the limited autonomy that the States have has to be maintained in the present context.

SHRI A. B. VAJPAYEE: Is it not a fact that the Commission itself has recommended the creation of All India Services?

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: Yes.

SHRI A. B. VAJPAYEE: So you quote one portion and do not accept the other?

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: If the whole question as recommended by the States Reorganisation Commission is to be discussed, then it is another matter. But I do not want to drag in those other points that they have pointed out.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Vajpayee.

श्री ए० बी० वाजपेयी : महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि किसी भी परिस्थिति में भारत की राजनैतिक एकता कायम रहे यह बहुत आवश्यक है। इसके साथ, शासन में एकरूपता लाने का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। जो कर्मचारी और अधिकारी राज्यों में काम करते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिये—इस पहलू की ओर मेरे कम्यूनिस्ट मित्र ने क्या ध्यान नहीं दिया। अगर सेवाएं अखिल भारतीय स्वरूप की होंगी तो ऑफिसर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे, उन्हें प्रगति का अवसर मिलेगा, वे दूसरी जगह जा कर कुछ सीखेंगे और अपनी जानकारी से उस क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे।

उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी का उदाहरण दिया। उनको जान कर ताज्जुब होगा कि म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी भी यह मांग कर रहे हैं कि उनकी सरविसेज का, उनकी पोस्ट्स का प्राविन्शियलाइजेशन किया जाय। एक म्यूनिसिपैलिटी में वे पड़े रहते हैं और उनके विकास के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब से यह विधेयक आया है, संसद के सदस्यों के पास प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं, स्मृति-पत्र आ रहे हैं कि इसमें केवल कुछ सेवाओं का समावेश किया गया है, बाकी और लोगों की भी सेवायें इसमें जोड़ी जानी चाहियें। कर्मचारियों का हित भी इसमें है और प्रशासन का भी और देश का भी हित इसमें है कि अखिल भारतीय सेवायें चलें और सफलता के साथ चलें। जहां तक राज्यों की स्वायत्तता का सम्बन्ध है, अगर कोई ऑफिसर आल इंडिया सर्विस में है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह राज्य के नियंत्रण से निकल जायेगा। पंजाब में क्या हो रहा है, इससे हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। श्री

[श्री ए० बी० वाजपेयी]
आर० पी० कपूर, आई० ए० एस० केडर के आफिसर हैं ।

श्री पी० रामामूर्ति : आई० सी० एस० के ।

श्री ए० बी० वाजपेयी : अब वह आई० ए० एस० हो गया । तो उनके साथ पंजाब की सरकार दुर्व्यवहार कर रही है ।

श्री प्रकाश नारायन, सप्रू (उत्तर प्रदेश) : वे आर० पी० कपूर, आई० सी० एस० हैं जो पुराने बैंच के हैं ।

श्री ए० बी० वाजपेयी : जी हां, पुराने बैच के हैं । शायद इसीलिये उनसे पुरानी दुश्मनी निकाली जा रही है । और इंडियन पुलिस सर्विस के एक आफिसर के साथ भी पंजाब सरकार मनमानी का व्यवहार कर चुकी है । शिकायत यह नहीं है कि जो ऑफिसर प्रांतों में नियुक्त किये जायेंगे वे प्रांतों के नियंत्रण में नहीं चलेंगे । शिकायत तो यह है कि प्रांतीय सरकारें, जो अखिल भारतीय सेवाओं के आफिसर हैं, उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करेंगीं । जहां तक प्रांतों की स्वायत्तता का सवाल है उसे एक हद तक ही बढ़ाया जा सकता है, उसके आगे नहीं । केन्द्र में किसी और पार्टी की सरकार होगी और प्रांत में किसी और पार्टी की सरकार होगी, तब क्या होगा यह सन्देह प्रकट किया गया है । मगर इनको दूर करने का नतीजा यह नहीं है कि अखिल भारतीय सेवायें नियुक्त न की जायें । इसका एक ही तरीका है कि केन्द्र प्रांत के साथ न्याय करे और प्रांत केन्द्र की सत्ता को मान कर चले ।

मैं एक बात कह कर समाप्त कर दूंगा । मैंने एक संशोधन भी प्रस्तुत किया है । अगर मंत्री महोदय सुनें तो अधिक अच्छा होगा ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एम० हजरनवीब) : मैं सुन रहा हूं ।

श्री ए० बी० वाजपेयी : आप एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं है । मैं उनका ध्यान अपने संशोधन की तरफ खींचना चाहता हूं । मैंने क्लाज ३ में एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि जहां इंजीनियर शामिल किये गये हैं वहां केवल इरीगेशन, पावर और बिल्डिंग, एंड रोड—इन क्षेत्रों में काम करने वाले इंजीनियर ही शामिल किये गये, जब कि इंडस्ट्री में, एग्रिकल्चर, वाटर वर्क्स और ट्रांसपोर्ट में भी इंजीनियर काम करते हैं । मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इंडस्ट्री—उद्योग—या खेती में काम करने वाले इंजीनियर इस विधेयक की परिधि से क्यों बाहर रखे गए हैं ।

श्री आर० एम० हजरनवीस : मैं इसका थोड़ा-सा स्पष्टीकरण कर दूं । जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो उसने उसके बारे में अपनी रिपोर्ट दी और उनकी सूचना के मुताबिक उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन्हीं शब्दों में यहां इस सदन में प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव में इस सदन ने जितना अधिकार दिया है, उसके बाहर यह विधेयक नहीं जा सकता । यही कानूनी सलाह हम लोगों को मिली है । अगर जितने शब्द कोष्ठ में हैं वे निकाल देते और सिर्फ इंडियन सर्विस आफ इंजीनियर्स होता तो मेरे खयाल से अच्छा होता और जिस किसी को हम इंजीनियरिंग की सर्विस में लाना चाहते हैं सभी को ले आते । हम देखें, गये चार-पांच साल से दो नये किस्म के इंजीनियर आये हैं जिन को कहते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, जिसके बारे में एक संशोधन सदन के सामने आया है । दूसरा वर्ग है न्यूक्लियर इंजीनियरों का । तो इसमें अच्छा होता इरिगेशन, पावर, बिल्डिंग्स और रोड यह शब्द निकाल लेते । लेकिन अगर परिमिति हुई है तो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई है । इस सदन में पहले जो प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें हमको धारा ३१२ के मुताबिक अधिकार मिला है, उसके शब्दों में जो परिमिति है, उसी से हमारा अधिकार परिमित है, एक दूसरा प्रस्ताव तो शायद

उसके बारे में सदन के सामने आये, जरुर सोचना होगा ।

श्री ए० बी० वाजपेयी : प्रस्ताव ने शासन को इंजीनियरों को शामिल करने से तो नहीं रोका है ।

श्री आर० एम० हजरनवीस : अगर उस धारा ३१२ में, जिस प्रस्ताव को सदन ने पारित किया वह आप देखें तो आपको मालूम होगा कि ये जो शब्द ब्रैकट में हैं, ये वहीं से लिये गये हैं और इसके बारे में हमने कानूनी सलाह ली है . . .

श्री ए० बी० वाजपेयी : यदि कोई कानूनी कठिनाई है तब तो मैं इस संबंध में अधिक नहीं कहना चाहता । लेकिन अधिक उपयुक्त होता यदि . . .

श्री आर० एम० हजरनवीस : मैं मानता हूं कि इस बात का कि अगर वे शब्द नहीं होते और इन्जीनियरिंग का जो और वर्ग है उसको शामिल करना जरूरी नहीं था, यदि हम उस परिमिति को निकाल देते तो अच्छा होता, यह मेरा खयाल है ।

श्री ए० बी० वाजपेयी : मेरा इस संबंध में निवदन है कि या तो इस बारे में सदन पहल करे या शासन की ओर से कोई प्रस्ताव आए । यह जो हमने सीमा बांधी है यह ठीक नहीं है, इस से न केवल इन्जीनियरों में असंतोष होगा . . .

श्री आर० एम० हजरनवीस : सदन इस बात की पूरी मालिक है । धारा ३१२ के अधीन सदन को पूरा अधिकार है कि पहले प्रस्ताव में जो सीमा है उसको हटा दे ।

श्री ए० बी० वाजपेयी : तो फिर मैं क्या कहूं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का भी समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि अन्य इन्जीनियरों की सेवा में शामिल करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जायें इस पर सरकार विचार करेगी ।

श्री आर० एम० हजरनवीस : यह बात जरूर विचाराधीन है ।

श्री पंढरीनाथ सीतारामजी पाटील : (महाराष्ट्र): माननीय उपसभापति महोदया, यह जो ऑल इंडिया सर्विसेज अमेन्डिंग बिल १९६३ सदन के सामने आया है, उसको दरअसल १०-१२ साल पहले आ जाना चाहिये था । जब इस देश में अंग्रेजों का राज्य था, तब ऐसा कोई भी बिल या इस तरह का कोई भी सुझाव सामने नहीं आ सकता था, क्योंकि उनको न तो इस देश का विकास ही करना था और न ही इस देश की प्रजा की कोई चिन्ता थी । वे केवल यहां का धन लूटना चाहते थे, अपना साम्राज्य चलाना चाहते थे तथा यहां पर अपना व्यापार चलाना चाहते थे । उन्होंने इस देश में अपना राज्य चलाने के लिए दो प्रमुख सर्विसेज कायम की थीं और उन्हें बड़ा प्रभुत्व दिया था । वे सर्विसेज आई० सी० एस० और आइ० पी० एस० की थीं । अंग्रेजी राज्य का जो शासन यंत्र था, उसके ये दो महत्वपूर्ण पुर्जे थे । अंग्रजों ने आइ० सी० एस० का निर्माण करके उन को हर जिले में कलेक्टर बनाया था, ताकि वे अपना एडमिनि-स्ट्रेशन उनके जरिये चला सकें और आइ० पी० एस० को पुलिस का हर जिले में मुखिया बनाया था ताकि वह पुलिस के जरिये जनता के ऊपर पूरा काबू रख सकें । लेकिन अंग्रेजी राज्य के जाने के बाद जब हम आजाद हुए तो इस स्थिति में शासकीय यंत्र में आमुलाग्र ऐसा परिवर्तन जल्द से जल्द होना चाहिये था, लेकिन १६ साल हो गये हैं स्वाधीनता को, अभी तक इस व्यवस्था में कोई विशेष फर्क नहीं हुआ । फर्क सिर्फ थोड़े से शब्दों में हुआ हैं आइ० सी० एस० की जगह आइ० ए० एस० के नये शब्द बना दिये, यानी इंडियन एड-मिनिस्ट्रेटिव सर्विस । लेकिन जो सर्विसेज इस

[श्री पंढरीनाथ सीतारामजी पाटील]

देश के लिए उपयुक्त थीं, जिन के द्वारा इस देश की अच्छी सेवा हो सकती थी, इन सर्विसेज को गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया ने ग्राजतक ग्रपने मातहत नहीं लिया । ग्रब सरकार इस बिल के जरिये जो तीसरी सर्विसेज ग्रपने हाथ में ले रही है वह है इंडियन सर्विसेज ग्राफ इंजीनियर्स, चौथी इंडियन फारेस्ट सर्विस ग्रौर पांचवीं इंडियन मेडीकल एन्ड हेल्थ सर्विस । इन सर्विसेज को गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया ने ग्रपने हाथ में लेना तय कर लिया है, इस लिए मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं ग्रौर इस बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि ये सर्विसेज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । लेकिन इससे भी ग्रधिक उपयुक्त तथा महत्वपूर्ण महकमे हमारे देश में हैं जिनकी ग्रोर सरकार का ध्यान ग्रभी तक नहीं गया है । वह हैं शिक्षा ग्रौर कृषि । इस बिल के द्वारा सरकार ने उन सर्विसेज को शुमार नहीं किया है । इस बिल में इस तरह की कमी रह गई है । उसको दूर करने के लिये मैं समझता हूं कि सरकार को कम से कम ग्रौर एक ग्रग्रीकलचर सर्विस को तो इस बिल के ग्रन्तर्गत ले ग्राना चाहिये था ।

हमारा देश निरक्षरता ग्रौर दारिद्रय से पूरा भरा हुग्रा है ग्रौर इस ग्रवस्था को पहले हमें खत्म करना चाहिये । ग्रगर हम ग्रपने देश से दारिद्रय को दूर करना चाहते हैं तो उसका एक मात्र इलाज यह है कि देश में उत्पादन बढ़ाना होगा । हर पहलू से उत्पादन बढ़ाना होगा तब ही हम इस गरीबी को दूर कर सकते हैं । हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री ग्रग्रीकलचर की है । इस देश में ८० फीसदी जनता खेती का धन्धा ग्रौर उद्योग करती है । देहातों में एकमात्र बड़ा उद्योग खेती का ही है ग्रौर हमारा सारा देश देहातों में बंटा हुग्रा है । ग्रगर किसी देश की भूमि से ग्रच्छा ग्रनाज, कपड़ा, दूध, दही, घी, सब्जी ग्रौर फल नागरिकों को खाने को मिलते हैं तो उस देश में मोटे मोटे जानवर ग्रौर खूब मस्त तगड़े जवान यानी बहादुर लड़के ग्रौर लड़कियां मिलेंगी ग्रौर वही ग्रपनी रक्षा कर सकता है । तथा हर क्षेत्र में ग्रपना विकास भी कर सकता है । हमारे देश में जो लड़के लड़कियां हैं वे दुबले हैं ग्रौर भूखे हैं । जिस देश के लोग भूखे होंगे वे किस तरह से ग्रपने देश के दुश्मन के साथ लड़ सकेंगे ग्रौर वहां के लड़के तथा लड़कियां किस तरह से पढ़ सकती हैं । देश की रक्षा कर सकती हैं ग्रथवा देश का विकास कर सकती हैं? ग्रमरीका जब ग्रंग्रेजी साम्राज्य से निकल कर ग्राज़ाद हुग्रा तो उस ने ग्रपनी उन्नति करने के हेतु सब से पहले ग्रग्रीकलचरल इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दिया । ग्रपने देश की ग्रग्रीकलचरल इंडस्ट्री को प्रथम स्थान दे कर कृषि उद्योग को खूब बढ़ावा दिया । उन्होंने ग्रपने देश के लिए कृषि सुधार की जितनी भी योजनाएं बनाई थी उन्हे पूरी शक्ति के साथ सारे देश के लोगों ने बड़ी लगन से पूरा किया । यही कारण है कि ग्राज ग्रमरीका दुनिया में सब से बड़ा धनी देश है । परन्तु हमारे देश में ग्रग्रीकलचर इंडस्ट्री की ग्रोर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना नहीं दिया गया । हमारे देश में जो योजना कमिशन है उस का यह काम था कि देश में ग्रग्रीकलचरल इंडस्ट्री को ग्रग्र स्थान देकर ज्यादा बढ़ावा ग्रौर उत्तजना देना, योजना कमिशन का यह भी काम था कि वह ग्रग्रीकलचर के काम को उचित ढंग से तथा उचित रास्तें से ग्राग बढ़ाती मगर इस कमी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया । योजना कमिशन वाले कार्यालय में बैठ कर कागजों के ऊपर ही योजना तैयार करते हैं ग्रौर प्राक्टीकल तथा थ्योरी के मेल का उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं दिखाई देता है । इस तरह का कार्य योजना कमिशन द्वारा हो रहा है । सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाने से देश की तरक्की होने वाली नहीं है । योजना कमिशन में इस तरह का कोई मेम्बर नहीं जो किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के बारे में बढ़ावा दे सकता

हो, ऐसा मुझे मालूम देता है । अगर ऐसा होता तो देश में पहले अग्रीकलचरल इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता। हमारे देश में दूसरी बड़ी बड़ी योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं । इस देश में करोड़ों एकड़ योग्य जमीन है लेकिन उसके लिए न अच्छा खाद मिलता है, न शुद्ध बीज मिलता है न अच्छे जानवर मिलते हैं और न नहर का पानी ही पूरा मिलता है । नदी नालों में बाढ़ का जो पानी आता है उस से खेती का बचाव नहीं हो पाता है । पानी के बहाव से खेती की मलाई चली जाती है और उसकी रोक के लिए कोई इन्तजाम नहीं होता । किसानों को आधुनिक यांत्रिक औजार नहीं मिलते हैं । बिजली उन को बराबर नहीं दी जाती है । इस तरह से बहुत सी सुविधायें और साधन हैं जो किसानों को नहीं मिलती हैं । आज हम देख रहे हैं कि पश्चिमी देशों में आधुनिक वैज्ञानिक साधन इतने हो गये हैं जिनके जरिये वहां का किसान उमदा खेती करता है लेकिन यहां उस के अनपढ़ होने की वजह से उसे इस तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं । किसानों के लड़कों को शिक्षा देने की तरफ भी सरकार ने अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया । देहातों में अनिवार्य शिक्षा की तरफ बड़ी दक्षता से ध्यान दिया जाना चाहिए था । वह ध्यान हमारी सरकार ने अब तक बिल्कुल ही नहीं दिया । इसका मुझे बहुत बड़ा दुःख है । हमारे देश के कृषि उद्योग की शीघ्र उन्नति के लिये मैं सरकार को अति आग्रह से निवेदन करता हूं कि सरकार देश भर में हर जिले में एक अग्रीकलचरल कालेज खोल कर किसानों के लड़के लड़कियों को उस में उच्च कृषि विद्या बिना मूल्य पढ़वाकर उन में से जो होनहार लड़के हों, उन सब को पढ़ाई के लिये स्कालरशिप देने की व्यवस्था करे । यह काम जल्द ही हो ।

इस देश में दुनिया के सभी देशों से खेती का उत्पादन प्रति एकड़ बहुत ही कम होता है । इस देश के सारे उद्योगों की मंजिल केवल कृषि उत्पादन को नींव पर खड़ी होने वाली है । नींव जो है वह खेती के उत्पादन पर है । इसलिये खेती का उत्पादन बढ़ाने से ही देश के सारे उद्योग बढ़ सकेंगे और इस देश का सही विकास भी हो सकेगा ।

खेती के वज्ञानिकों की बहुत जरूरत है । आज उनकी इज्जत नहीं है । उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है । कोई अग्रीकलचर आफिसर देहातों में जाता है तो गांव का पटेल पटवारी या कोई चौकीदार उस की तरफ देखने नहीं आता । अपितु अगर कोई पुलिस आफिसर देहात में चला जाय, चाहे वह छोटे से छोटा आफिसर यानी स्टेशन सब-इंस्पेक्टर हो या कोई दूसरे ऐसे महकमों का आफिसर हो जो रोब या सरकारी ताकत से लोगों को दबा सकते हैं, तो ऐसे अफसरों की आज गांवों में इज्जत है । जब तक कृषि विभाग का काम कराने वाले अफसरों को देहातों में या देश में योग्य प्रतिष्ठा नहीं दी जायेगी तब तक उच्च शिक्षा प्राप्त अच्छे लड़के या जवान लोग इस महकमे की तरफ देखने को राजी नहीं हैं । आज जो अच्छे पढ़े लिखे और होशियार लड़के हैं वे आई० ए० एस० और आई० पी० एस० की तरफ दौड़ते हैं । इसका कारण उन को मालूम है कि वहां धन भी मिलता है तथा समाज में और सरकार में प्रतिष्ठा भी मिलती है । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जैसे ये पांच पंक्तियां जो कि इस बिल से आल इंडिया सर्विसज की होने वाली हैं वैसे ही छठी पंक्ति इंडियन अग्रीकलचरल सर्विस की इस में जोड़ दी जाय । अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश में खेती के उद्योग की उच्च शिक्षा की तरफ अच्छे पढ़े हुये होशियार और होनहार लड़कों का ध्यान चला जायेगा और वे इंडियन अग्रीकलचरल सर्विस में आ कर प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ वे लोग देहाती किसानों में जाकर

[श्री पंढरीनाथ सीतारामजी पाटील]

स्वयं प्राप्त ज्ञान का लाभ उन को देंगे । उसका परिणाम अंशतः क्यों न हो खेती उत्पादन के बढ़ावे में ही होगा । आखिर मैं एसा समझता हूं कि आगामी अधिवेशन में मंत्री महोदय इस तरह का कोई संशोधन लायेंगे और मेरी जो प्रार्थना है उसके ऊपर कुछ सोचेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं अपना भाषण समाप्त करने की आप से इजाजत चाहता हूं ।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : डिप्टी चेयरमैन महोदया, मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूं । सिर्फ स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमिशन का ही नहीं बल्कि जो राष्ट्र की एकता चाहते हैं उनकी बराबर यह मांग रही है कि शिक्षा, इंजीनियरिंग ऐग्रीकल्चर हैल्थ आदि सभी जगहों में यह अखिल भारतीय सर्विस चालू की जाय । ताज्जुब की बात है कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ कहने वाले कम्युनिस्ट लीडर आज इस बिल के विरोध में बातें करते हैं । आज राष्ट्रीय एकता की जब बात होती है तो हिन्दुस्तान में जो एक नारा चला है । 'Sons of the sky and sons of the soil' मैं समझता हूं कि कामरेड गोविन्दन नायर उसी के शिकार हो गये हैं और इसी वजह से उन्होंने इस बिल की मुखालिफत की । सरकार के लिए उचित था कि सर्विस के लिये जितनी तरमीम आई है उतनी ही न रख कर के शिक्षा के सम्बंध में और ऐग्रीकल्चर के सम्बंध में भी रखते और ये जो सर्विसेज हैं सब को अखिल भारतीय रूप देने की चेष्टा करते । जब तक एक प्रांत से एक भाषा जानने वाले दूसरे प्रांत में जा कर के, दूसरे प्रांत की भाषा जान करके और मिलजुल कर काम नहीं करते तब तक राष्ट्र में एकता नहीं रह सकती है । आज खास कर ऐसे मौके पर जब कि देश में तरह तरह की मनोवृत्ति के लोग हैं और जो तरह तरह के नारे लगा रहे हैं, कभी द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम का नारा लगाते हैं, कभी नागालैंड का नारा लगाते हैं और तरह तरह के आन्दोलन चलाते हैं और हिन्दुस्तान से अलग होने की बात करते हैं, तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि हम इस विधेयक को पास करके बल्कि हमारे गृह मंत्री को यह कोशिश करनी चाहिये कि ऐसे कायदे बनाये जायं कि राज्यों में जो प्राविंशयल सर्विसेज हैं उन का जब कोई ऐडवरटिजमेंट हो तो कोई भी जो हिन्दुस्तान का नागरिक है वह एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जा कर उसका काम्पेटिशन कर सके और वांह के लोगों की सेवा कर सके । इसके साथ साथ आज हमारे देश में एक खतरनाक बात यह चल रही है कि हमारे देश में जो प्रांतीयता और लिंग्युइज्म का नारा चलता है वह जो हमारी अखिल भारतीय सर्विस के लोग हैं उन पर भी प्रहार करता है । मैंने देखा है कि कई प्रांतों में जो भाषा का झगड़ा चलता है, जो लिंग्युइज्म है, जो भाषावाद है, वह कम्युनैलिज्म से बदतर हो जाता है और उसका अखिल भारतीय सेवा में जो काम करने वाले हैं उन पर प्रहार होता है । भारत में इस तरह का नारा चलाया गया है कि १० करोड़ लोग सन्स आफ दी स्काई हैं, आसमान के लड़के हैं, और करीब ३५ करोड़ लोग सन्स आफ दी स्वायल हैं । हम लोग जो यहां बैठे हुये हैं और दिल्ली में ये जो सर्विस करने वाले लोग हैं, इस तरह की कभी कभी भावना पैदा होती है कि ये दूसरी जगह के हैं, आकाश के लड़के हैं । इन सब बातों के सम्बंध में हमारी सरकार कदम उठाती है, लेकिन जरा धीरे धीरे उठाती है । सरकार के लिये मुनासिब तो यह था कि शिक्षा और ऐग्रीकल्चर का भी इस में समावेश किया जाता । ऐग्रीकल्चर के सम्बंध में अभी पाटिल जी ने ठीक ही कहा कि हिन्दुस्तान में फी सैकड़ा ८० लोग खेती पर अवलम्बित हैं और उनसे बड़ी बड़ी हमारी प्राब्लम्स साल्व होती हैं । आज खेती से सम्बन्धित हमारे आफिसर अगर

एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जांय तो यह बड़ा अच्छा होगा । इसलिए यह बिल अभी अधूरा है और मैं गृह मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि यह छः महीने या सात महीने में बिल लाने की आवश्यकता नहीं, खूब सोच समझ कर उन को शिक्षा और ऐग्रीकल्चर का भी समावेश करना चाहिये । सिर्फ इंजीनियरिंग का ब्रैकेट हटा देने से काम चलने वाला नहीं है । शिक्षा और ऐग्रीकल्चर को भी इस में शुमार किया जाय तभी ठीक काम चलेगा । हमारे कामरेड गोविन्दन नायर जी ने कहा कि इस से फारेस्ट डिपार्टमेंट अखिल भारतीय हो जायेगा । आज आई० पी० एस० और आई० ए० एस० सर्विसेज हैं, लेकिन प्राविंशल सर्विसेज उसी तरह से कायम हैं । जो वे समझते हैं कि फारेस्ट रेंजर, फारेस्ट गार्ड या जो दूसरी ऐसी छोटी सर्विसेज हैं, वे आल इंडिया सर्विसेज में चली जायंगी, यह समझने में वे ग़लती कर रहे हैं । प्राविंशियल सर्विसेज अपनी जगह पर हैं और अपनी जगह पर रहेंगी और जो आफिसर हैं वही आल इंडिया सर्विसेज में आ जायेंगे । इसलिये अगर हिन्दुस्तान की एकता को हमें कायम रखना है और बढ़ाना है तो बाजपेयी जी ने जो राय दी कि इस को और भी विस्तृत किया जाय, उस को हमें स्वीकार करना चाहिये । हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिये हमारे पूर्वजों ने चार धाम बनाये थे । उन्होंने एक धाम रामेश्वर में बनाया, एक द्वारिका- में बनाया, एक बद्रीनाथ में बनाया और एक जगन्नाथपुरी में बनाया । ये चारों धाम हमारी एकता के प्रतीक हैं । उसी प्रकार यदि आल इंडिया सर्विस में एक प्रांत में एक लोग आते हैं और वे दूसरे प्रांत में जा करके वहां भाषा सीखते हैं और वहां के लोगों की सेवा करते हैं तो इससे देश की एकता बढ़ेगी । राष्ट्रीय एकता केवल भाषण देने से नहीं आयेगी । वह तो काम करने से आयेगी । इस लिये उनको घबड़ाना नहीं चाहिये बल्कि उनको इस से खुश होना चाहिये । लेकिन पता नहीं, जैसा कि मैंने शुरु में कहा, कि कम्युनिस्ट पार्टी को क्या बीमारी हो गई है कि जो अच्छे-अच्छे विधेयक आते हैं उन का भी वह विरोध करती है । वे इतने संकुचित विचार रख कर सोचते हैं कि यह हमारी समझ में नहीं आता कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या चीज है । जब से इस की पैदाइश हुई है तब से ही हम को यह चीज समझ में नहीं आई है । जब ये समाजवाद और साम्यवाद की बात करते हैं तो फिर इन छोटी छोटी बातों में क्यों आ जाते हैं और प्रान्तीयता के शिकार हो जाते हैं ? मैं उन से अपील करता कि वह अपने दिमाग को विस्तृत करें । यों उनका दिमाग विस्तृत है लेकिन कभी कभी ये गुमराह हो जाते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता है ।

इसलिए मेरा कहना है कि इस विधेयक का सब ओर से तहेदिल से स्वागत होना चाहिये । जो लोग इस का विरोध करते हैं उन को समझना चाहिये कि इस से हिन्दुस्तान की एकता बढ़ेगी, एफिशियेंशी आयेगी और इस की वजह से हिन्दुस्तान में सर्विस करने वाले एक जगह से दूसरी जगह जायेंगे तो वह अच्छी चीज होगी ।

दूसरी बात मैं होम डिपार्टमेंट के मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि सभी प्रांतों में प्राविंशियल सर्विसेज के लिये कायदा एकदम से उठा देना चाहिये कि उस प्रांत का वह रहने वाला हो, वह वहां का डोमीसाइल हो । हिन्दुस्तान के किसी कोने के हों लेकिन अगर पढ़े लिखे हों, योग्य हों, काबिल हों, तो सर्विस मिलनी चाहिये । इस सब भेद भावों को हटा देना चाहिये । तो यहां से इस बारे में किसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिये । तो मेरा कहना है कि आल इंडिया सर्विसेज में एजुकेशन और एग्रीकल्चर को भी रखिये और उसके साथ साथ सभी प्रान्तों में यह व्यवस्था होनी चाहिये, उनको गृह मंत्रालय से हिदायत जारी की जानी चाहिये कि डोमिसाइल की बात नहीं रहे

[श्री शीलभद्र याजी]

और प्राविशयल सर्विसेज में सभी के लिये दरवाजा खुला रहना चाहिये और तभी भारत की एकता रह सकती है। इस भेद-भाव को जल्दी से जल्दी हटाना चाहिये। और हम समझते हैं कि इस भेदभाव को जल्दी से जल्दी हटाने से ही हिन्दुस्तान की एकता रह सकती है। ऐसा करने से लोग एक दूसरे की जबान सीखेंगे—आप कहेंगे कि थ्रीलेंगुएज फारमूला है लेकिन जब लोग आल इंडिया सर्विस में जायेंगे तो वे जिस प्रांत में जायेंगे उस प्रांत की भाषा उन को मजबूरन सीखनी पड़ेगी और जो नार्थ के लोग हैं वे साउथ में सर्विस के लिये जायेंगे तो वहां की भाषा उन को सीखनी पड़ेगी और इस तरह से एक दूसरे की भाषा सिखाने में आसानी होगी। अभी जो सर्विसेज में फेवर-टिज्म आ जाता है और जो एक प्रांत के लोग एक ही प्रांत में पड़े रहते हैं और उस से बदबू आने लगती है वह बात नहीं होगी और अब उन का दिमाग साफ होगा। तो मेरा कहना है कि जो आल इंडिया सर्विसेज को अभी आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, इंजीनियरिंग, फारेस्ट और मैडिकल वगैरह के लिये महदूद रखा गया है उस को बढ़ा कर एजूकेशन और एग्रीकल्चर को भी शामिल किया जाय और सभी प्रान्तों में प्राविशियल सर्विस का दरवाजा सब के लिये खुला रहे, ऐसी हिदायतें राज्य सरकारों को दी जाय कि जो भी हिन्दुस्तान का नागरिक होगा वह कम्पीटीशन के जरिये से सर्विस में आयेगा। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन सरकार से और गृह मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि यह बिल अधूरा और आप की चाल बड़ी धीमी है। हिन्दुस्तान की एकता आप को बढ़ानी है तो आप को अपनी चाल जरा तीव्र करनीं चाहिये और हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर और एजूकेशन के लिये सलाह दी है उस को इस में समावेश करना चाहिये। इस के साथ ही साथ कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ज स से कि सभी प्रान्तों की प्राविशियल सर्विसेज का दरवाजा सब भारतवासियों के लिये खोल दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं फिर इस विधेयक का सहर्ष स्वागत करता हूं।

شری عبدالغنی (پنجاب) : مہتم

ڈپٹی چیرمین - اس بل کو لاکر سرکار نیشنل انٹیگریشن کو مضبوط کرنا چاہتی ہے - سرکار کی اچھا ہے کہ قابل آدمی جو میڈیکل میں ہیں، انجینیرنگ میں ہیں، فورسٹ میں ہیں، انہیں بھی آل انڈیا سروسز کا فائدہ پہنچے - میں آپ کے دوارا اپنی سرکا سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے وہ جو انٹیگریشن کرنے جا رہی ہے اس میں شاید ان کو زیادہ کامیابی نہیں ہوگی -سرکار کو ایک بات سمجھ لینی چاہئے کہ دیش کی مضبوطی کے لئے ، سینٹر کی مضبوطی ضروری ہے اور سینٹر کی مضبوطی تبھی ہوتی ہے جب دیش کا لا اینڈ آرڈر اس کے ہاتھ میں ہو اور جب اسٹیٹس کبھی سینٹر کے حکم کا اپمان کرنے کا خیال بھی دماغ میں نہ لا سکیں - ایسی صورت میں ان اسٹیٹوں کو ایک بڑا کارپوریشن بنا دینا چاہئے اور اسے آپ چاہیں تو پراونشیل کارپوریشن کا نام دیں - اور جو بینیفیشری ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ ان کے حوالے رہیں - یہ میں کیوں کہتا ہوں - اس لئے کہ کمیونسٹ بھائی اور کئی لوگ

چاہتے ہیں کہ جب چاہیں فائدہ اٹھا سکیں، اور محکموں کے آفیسرس کا بھی درجہ بڑھایا جائے، احترام بڑھایا جائے تاکہ وہ وہاں جا کر کام کر پائیں - میں نہیں جانتا کہ اس کا فائننشیل ایمپلیکیشن کتنا ہوگا- اس کا اندازہ سرکار کرے گی کہ ایسا کرنے سے کتنا بوجھا ٹیکس دینے والوں پر پڑیگا-ہاں - اگر اس سے دیش کی ایکتا میں ترقی ہوتی ہے ، تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے تو بوجھا پڑنا چاہئے کیوں کہ دیش کی ایکتا ضروری ہے -

مسٹر ڈپٹی چیرمین - میں یہ جاننے کی خواہش رکھوں گا کہ جن محکموں کے افسروں کے متعلق باجی جی یا پٹیل صاحب یا باجپئی جی کہتے ہیں کہ ان کو یہ درجہ دینا ضروری ہے ان کو بھی شامل کر لیا جائے یعنی ایجوکیشن اور ایگریکلچر کے محکموں کو بھی شامل کرلیا جائے وہ کیوں نہیں کیا گیا - دیش کے ۸۰ فی صدی لوگوں کا کام زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے، اس کی اور بھی ذرا دھیان دیں - اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ضروری ہے کہ سرکار اس بات کا دھیان کرے کہ جن کو وہ یہ درجہ دینے جا رہی ہے ان پر مرکزی سرکار کا ادھیکار ہوگا یا اسٹیٹ سرکار کا - مجھے تو لگتا ہے، جیسا کہ گوبندن نائر صاحب نے کہا یہ خیال پھیلایا جا رہا ہے کہ سٹیٹوں کی طاقت بڑھانی چاہئے - کیوں بڑھانی چاہئے - اس لئے کہ اسٹیٹس ایسا محسوس کریں گی کہ اسٹیٹوں کا نقصان ہو جائے گا اگر مرکزی سرکار بنیادی ادھیکار لے گی لیکن اس کے خلاف انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اسٹیٹوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو اس سے ہماری مرکزیت کو نقصان پہنچتا ہے، مرکز کی جو طاقت ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے - یہاں کئی پارٹیاں ہیں اور ایک دفعہ ہماری کمیونسٹ بھائیوں کی سرکار بھی دیش میں بن چکی ہے، کیرل میں بن چکی ہے، وہ توڑی گئی - کیسے توڑی گئی، مجھے اس سے بحث نہیں لیکن اس میں یہ ہو گیا تھا کہ مرکز میں اور اسٹیٹ میں آپس میں ٹکراو آگیا - اگر آپس میں ایسا ٹکراو آئے تو یہ ملک کی تباہی کا باعث بنتا ہے، اس کو انہیں سوچنا چاہئے - ویسے تو باجی جی بہت کچھ کہتے ہیں لیکن بہت کچھ کمیونسٹ بھائیوں کی بات مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو نہیں سوچا -

[شری عبدالغنی]

میڈم ڈپٹی چیرمین - آپ جانتی ھیں کہ کمیونسٹ بھائیوں نے شری ایس کے - پاٹل اور شری سرار جی ڈیسائی کو کیبینٹ سے ھٹایا جانا ڈیمانڈ کیا تو اور کانگریس نے وہ مان لیا - دائیں ھاتھ سے کہا یا بائیں ھاتھ سے کہا، سیدھے سے کہا یا سر کے اوپر سے کہا، یہ دوسری بات ہے، لیکن کمیونسٹ بھائیوں کی بات انہوں نے مان لی - تو اس بل کے سلسلہ میں بھی وہ گوبندن نائر جی کی اس بات کو کس حد تک ماننے جا رہے ھیں میں نہیں جانتا لیکن میں کہنا چاھتا ھوں کہ مرکزی سرکار بالکل حق بجانب ھے اگر وہ انٹیگریشن کے لئے جتنے بھی اچھے لوگ ھیں ان سے فائدہ اٹھائے اور ایک صوبہ سے اٹھا کر دوسرے صوبہ میں رکھ کر ان کو ملک میں پھیلائے -

لیکن وہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو ریجنل لینگویجز ھیں جیسے پنجاب میں پنجابی ہے، آسام میں آسامی ہے، بنگال میں بنگالی ہے، تو بعض محکموں کی، جیسا بعض ممبر صاحبان بھی کہتے ھیں، ان کی بات کو مان لیا جائے- تو کام میں جو ایفیشینسی یہ چاھتے ھیں، آیا وہ آئے گی کہ نہیں، کیوں کہ خطرہ یہ ھے کہ جن افسروں کو یہ اٹھا کر نارتھ سے ساوتھ میں بھیجیں گے - ان سے یقیناً انٹیگریشن تو ھو جائے گا اس لئے کہ ساوتھ اور نارتھ آپس میں مل کر ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھ سکیں گے اور ان کا احترام کر سکیں گے - . . . .

†[श्री अब्दुल गनी (पंजाब) : मैंडम डिप्टी चेयरमैन । इस बिल को ला कर सरकार नेशनल इंटिग्रेशन को मजबूत करना चाहती है । सरकार की इच्छा है कि काबिल आदमी जो मैडिकल मैन हैं, इंजीनियरिंग मैन हैं, फोरेस्ट मैन हैं, उन्हें भी आल इंडिया सर्विस का फायदा पहुंचे । मैं आप के द्वारा अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरह से वह जो इंटीग्रेशन करने जा रही है उस में शायद उन को ज्यादा कामयाबी नहीं होगी । सरकार को एक बात समझ लेनी चाहिये कि देश की मजबूती के लिये, सेन्टर की मजबूती जरूरी है । और सेन्टर की मजबूती तभी होती है जब देश का ला एण्ड आर्डर उस के हाथ में हो और जब स्टेटस कभी सेन्टर के हुक्म का अपमान करने का ख्याल भी दिमाग थे में न ला सके । ऐसी सूरत में इन स्टेटों को एक बड़ा कारपोरेशन बना देना चाहिये और उसे आप चाहें तो प्राविन्शियल कारपोरेशन का नाम दें और जो बेनीफिसरी डिपार्टमेंट्स हैं वह उन के हवाले रहें । यह मैं क्यों कहता हूं । इसलिये कि कुछ कम्युनिस्ट भाई और कई लोग चाहते हैं कि जब चाहें कितना उठा सकें और महकमों के आफिसरों का भी दर्जा बढ़ाया जाये । एतराम बढ़ाया जाये, ताकि वह वहां जा कर काम करपायें । मैं नहीं जानता कि इसका फाइनन्शियल इम्पलिकेशन कितना होगा इस का अन्दाजा सरकार करेगी कि ऐसा करने से कितना बोझा टैक्स देने वालों पर पड़ेगा ।

†[ ] Hindi transliteration.

हां अगर इस से देश की एकता में तरक्की होती है, तक़विय मिलती है, ताकत मिलती है तो बोझा पड़ना चाहिये क्योंकि देश की एकता जरूरी है ।

मैडम डिप्टी चेयरमैन, मैं यह जानने की ख्वाहिश करूंगा कि जिन महकमों के आफिसरों के मुताल्लिक याजी जी या पटेल साहब या बाजपेयी जी कहते हैं कि उन को यह दर्जा देना जरूरी है और उन को भी शामिल कर लिया जाये यानी एजूकेशन और एग्रीकल्चर के महकमों को भी शामिल कर लिया जाय वह क्यों नहीं किया गया । देश के ८० फीसदी लोगों का काम जरायत है खेती बाड़ी है तो फिर इसकी ओर भी जरा ध्यान दें । अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त यह जरूरी है कि सरकार इस बात का ध्यान करे कि जिनको वह यह दर्जा देने जा रही है उन पर मरकजी सरकार का अधिकार होगा या स्टेट सरकार का । मुझे डर लगता है जैसा कि गोविन्दन नायर साहब ने कहा यह ख्याल फैलाया जा रहा है कि स्टेटों की ताकत बढ़ानी चाहिये । क्यों बढ़ानी चाहिये । इसलिये कि स्टेटें ऐसा महसूस करेंगी कि स्टेटों का अपमान हो जायेगा अगर मरकजी सरकार बुनियादी अधिकार लेगी लेकिन इसके खिलाफ उन्होंने यह नहीं सोचा कि स्टेटों में यह जजबा पैदा हो जाये तो इससे हमारी मरकजियत को नुकसान पहुंचता है, मरकज की जो ताकत है उसको नुकसान पहुंचता है । यहां कई पार्टियां हैं और एक दफा हमारी कम्युनिस्ट भाइयों की सरकार भी देश में बन चुकी है, केरल में बन चुकी है, वह तोड़ी गई, कैसे तोड़ी गई, मुझे इससे बहस नहीं लेकिन उसमें यह हो गया था कि मरकज में और स्टेट में आपस में टकराव आ गया । अगर आपस में ऐसा टकराव आये तो यह मुल्क की तबाही का बायस बनता है । इसको उन्हें सोचना चाहिये । वैसे तो याजी जी बहुत कुछ कहते हैं लेकिन बहुत कुछ कम्युनिस्ट भाइयों की बात मानते हैं लेकिन उन्होंने इसको नहीं सोचा ।

मैडम डिप्टी चेयरमैन, आप जानती हैं कि कम्युनिस्ट भाइयों ने श्री एस० के० पाटिल और श्री मोरारजी देसाई को केबिनेट से हटाया जाना डिमाण्ड किया था और कांग्रेस ने वह मान लिया । दायें हाथ से किया या बायें हाथ से किया, सीधे से किया या सर के ऊपर से किया, यह दूसरी बात है, लेकिन कम्युनिस्ट भाइयों की बात उन्होंने मान ली । तो इस बिल के सिलसिले में भी वह गोविन्दन नायर जी की इस बात को किस हद तक मानने जा रहे हैं मैं नहीं जानता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मरकजी सरकार बिल्कुल हक बजानब है अगर वह इंटीग्रेशन के लिये जितने भी अच्छे लोग हैं उनसे फायदा उठायें और एक सूबा से उठा कर दूसरे सूबा में रख कर उनको मुल्क में फैलाये । लेकिन वह यह भी जानने की कोशिश करें कि यह जो रीजनल लैंगवेजिज हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, है, आसाम में आसामी है, बंगाल में बंगाली है, तो जब यह महकमों की, जैसा बाज मैम्बर साहबान भी कहते हैं, उनकी बात को मान लिया जाये, तो काम में जो एफीसियेंन्सी यह चाहते हैं आया वह आयेगी कि नहीं क्योंकि खतरा यह है कि जिन आफिसरों को ये उठा कर नार्थ से साउथ में भेजेंगे, उनसे यकीनन इंटीग्रेशन तो हो जायेगा इसलिये कि साउथ और नार्थ आपस में मिल कर एक दूसरे के जजबात को समझ सकें और उनका एहतराम कर सकेंगे . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is 1 o'clock. The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, TH* DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.